

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश


का०आ०सं० :-2/अ०प्र०-1-111/2022 45 /पटना, दिनांक :- 24.5.23

श्री महेश मोची, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त से कार्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत निर्मित महाडाह से पंडितपुर भाया गनची पथ की अधीक्षण अभियंता-सह-राज्य गुणवत्ता समन्वयक, बिहार, पटना के स्तर से की गयी। विभागीय पत्रांक 92 अनु० दिनांक-10.01.2023 द्वारा जाँच में पायी गयी अनियमितता/त्रुटियाँ के लिए श्री मोची से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री मोची के पत्रांक शून्य दिनांक 13.01.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री मोची के विरुद्ध उक्त आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री मोची के विरुद्ध संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री खलिकुज्जमा, मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री महेश मोची, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

4. आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ०प्र०-1-111/2022

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री खलिकुज्जमा, मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालिस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ०प्र०-1-111/2022

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री महेश मोची, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त, द्वारा-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ०प्र०-1-111/2022

1267

/पटना, दिनांक :- 24-5-23

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख